रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3133] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 10, 2017/कार्तिक 19, 1939
No. 3133] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 10, 2017/KARTIKA 19, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2017

का.आ. 3574(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य 55.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह गुजरात राज्य के दहोद जिले के धनपुर तालुक में स्थित है।

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 55.65 वर्ग किलोमीटर है। रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य को 19 मार्च, 1982 से अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। अभयारण्य का क्षेत्र गुजरात-मध्य प्रदेश सीमा पर गुजरात के पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मनोरम विंध्य प्रर्वत श्रृंखला का उत्तरी मुख्य भाग आता है। यह दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के वनों के साथ जुड़ा हुआ भू-भाग है और इसके उत्तर में बरिया वन संभाग का वन है।

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर तथा आसपास सागौन *(टेक्टोना ग्रांडिस),* बांदरो*(लगेरस्टोइमेअ परवीफ्लोरा),* सदद *(टरमिनेलीआ करेनुलाटा),* तीमरू *(दीओसपयरोस मेलानोक्सीलोन),* चोलीम्बो *(कसेअरीआ गरावेओलेंस),* उम *(मीलीयुसा टोमेंटोसा),* धावदो *(अनोगेइस्ससूस लटीफोलिया),* कलम *(मीटरागयना परवीफोलीआ),* पतराली *(धालबेल्जिया पनीकुलाटा),* भूतजाद (*कस्सीना गलायका)* आदि वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती हैं। रत्नमहल वन्यजीव अभयारण्य में अभिलिखित मुख्च जीवजंतु हैं तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्यूस*), रीछ (*मेलउर्सुस उर्सिनस*), नीलगाय और ब्लू बुल *(दोसेलाफुस टरागोकामेलुस), चौसिंगा मृग (टेटराकेरूस क्यादरीकोरनीस),* चित्तीदार लकड़बग्घा *(हैना हैना),*आदि। अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां वाइल ग्रे फ्रैंकोलिन *(फरांकोलीनुस पोंदीकेरीयानुस),* रेड स्पुरफोवल *(गल्लोपेरदीक्स स्पादीकेया),* ग्रे जंगली मुर्गी (गल्लुस सोन्नाराटी*),* भारतीय मयूर *(पावो करीसटालुस) हैं।*

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन का वन क्षेत्र जेनेटिक जैव विविधता वनस्पति और जीवजंतु दोनों की समृद्ध प्रजातियों से संपन्न है। इसकी प्राचीन सुंदरता और बंजर स्थलाकृति पर्यटन एकांत और शांति का बोध कराता हैं। यह भारत में पायी जाने वाली चार प्रजातियों में से एक स्लोथ रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), का घर है। यह स्थान टिपिकल स्लोथ रीछ क्षेत्र है।

और, रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमा इस अधिसूचना के पैरा -1 में विनिर्दिष्ट हैं, और इसके चारों ओर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी पर्यावरण और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2.23 किलोमीटर से 19.67 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.-**(1) रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2.23 किलोमीटर से 19.67 किलोमीटर तक का क्षेत्र पारिस्थितिकी संवेदी जोन है और इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 24.15041 वर्ग किलोमीटर है।

(2) इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण और विस्तार **उपाबंध Iक-ख** के रूप में उपाबद्ध है ।

(**3**) भू-निर्देशांकों, भूमि उपयोग पैटर्न, उपग्रह चित्र और स्थल मानचित्र के साथ रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II क-ग** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी क एवं ख के रूप में उपाबद्ध है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** में दी गई है। रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश आदिवासी भील हैं जिनमें वरिया, कोली, राठवा, मवी, भूरिया, दांगी, वखला, बरिया, परमार, तदवी, पावर, निनामा, नायक, धनका आदि उपजातियां पायी जाती है हैं। रतनमहल के आदिवासियों की उत्पत्ति मध्य प्रदेश से हुई है, जहां से ये 200 साल या इससे भी पहले रतनमहल वन के अंदरूनी भाग में आकर रहने लगें थे। इस अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले 3 ग्रामों में केवल आदिवासी जनसंख्या है, जबकि सीमा पर स्थति ग्रामों की जनसंख्या मिश्रित है। सीमावर्ती ग्रामों में, अन्य जातियों के लोगों की संख्या अधिक है। जहां राजपूत और आर्थिक और सामाजिक रूप से उच्च जातियां अन्य मुख्य जातियां हैं। आदिवासी, मुख्य रूप से भिल, अभी भी अपनी उपजातियों के साथ आदिम स्थिति में रहते हैं और उनमें से अधिकांश गरीबी रेखा से नीचे हैं। अच्छी स्कूली शिक्षा के अभाव के कारण इनकी शिक्षा की स्थिति खराब है।

आदिवासी बड़े पैमाने पर कृषक और कृषि मजदूर हैं। इनका मुख्य खाद्य पदार्थ मक्का है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि मजदूरी है। इनकें पसंदीदा खाद्य पदार्थ ज्वार और दाल है। बीड़ी पीना और शराब भी पीना इनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। ये अपने भोजन के लिए काफी हद तक वन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और भारी संख्या में मांसाहारी हैं। इसके

अतिरिक्त यें यह कृमादा, महूदा, तीमरू, बोर, बहेदा के बीजों आदि का सेवन करते हैं। गेहूं का आटा तैयार करने के लिए सूखे महूदा के फूलों और एक स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, जिसे 'पारोरा' कहा जाता हैं का प्रयोग करते हैं है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का अनुपालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जो राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व ;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन ;

(vii) ग्रामीण विकास

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण ;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों को अधिक दल और पर्यावरण अनुकूलित बनाने की व्यवस्था की जाएगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित और अवक्रमित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामीण और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। इस योजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा तथा पैरा 4 की सारणी में प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित तथा संवर्धित किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह कालिक होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

(10) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय–** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, तथा आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय परिसरों संबंधी औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन तथा सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा, स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योग, सुविधा भण्डार और ग्रहवास सहित स्थानीय सुविधाएं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं; और

(v) संवर्धित और पैरा 4 में दिए गए क्रियाकलाप।

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न कोई त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) वनरोपण और पर्यावास बहाली क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के जल आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आचंलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस रीति से दिशानिर्देश बनाए जाएंगे कि उनमें इन क्षेत्रों में उन विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो जो इन क्षेत्रों के लिए खतरनाक है। ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉटों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर किसी नये होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के में शामिल पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय –समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय- समय पर संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात: -** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार, वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन यथा सीएनजी, एलपीजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदुषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात की जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख) जिन विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों में अत्यधिक भू-संरक्षण होता है, उनमें कोई भी संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(18) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, यदि आवश्यक समझें तो, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेंगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिजॉर्टो की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नही होंगे। परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का

		विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुख सुविधाएं जिनमें अंतर्गत ग्रह वास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाना और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुख-सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।

15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण ।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा ।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
21.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
22.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, स्थानीय जनता की जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
बढ़ावा दिए जाने वाले क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों या वास-स्थलों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को शामिल करके मानीटरी समिति गठित करती है,:--

1	कलेक्टर, दहोद और छोटाउदेपुर जिले	अध्यक्ष;
2	पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
3	गैर-सरकारी संगठनों के या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत के दो प्रतिनिधि और अभयारण्य के प्रमुख प्राधिकारी द्वारा नामित सुविख्यात पक्षी / वन्यजीव विशेषज्ञ (बर्डवाचर)।	सदस्य;
4	पर्यावरण और वन मंत्रालय, गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
5	क्षेत्रीय अधिकारी, (जिला- पंचमहल और छोटाउदेपुर), गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
6	सदस्य, राज्य जैव-विविधता बोर्ड	सदस्य;
7	उप वन संरक्षक, वन्यजीव संभाग, वडोदरा	सदस्य सचिव।

विचारार्थ विषय.-

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(3) निगरानी सिमिति, वास्तविक विशिष्ट दशाओं के आधार पर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में उन क्रियाकलापों की संविक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल हैं। इनमें वे क्रियाकलाप शामिल नहीं है जो अधिसूचना के पैरा 4 में दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट है तथा जिन्हे केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण स्वींकृति के लिए भेजा गया है ।

(4) वे क्रियाकलाप जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यां का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन नहीं आते हैं परन्तु जो पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते हैं, उनकी इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, वास्तविक स्थल - विशिष्ट दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हे संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा ।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/42/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I क-ख

क. रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा

भिन्न दिशाओं (किलोमीटर) में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा		एन बी एस के केंद्र से (किलोमीटर)	एन बी एस की सीमा से (किलोमीटर)
	उत्तर	5.70	2.92
	उत्तर - पूर्व	8.40	4.77
	पूर्व	0	0
	दक्षिण-पूर्व	0	0
	दक्षिण	0	0
	दक्षिण-पश्चिम	0	0
	पश्चिम	25.85	19.67
	उत्तर-पश्चिम	8.62	2.23
यदि संरक्षित क्षेत्र की किसी भी दिशा में पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा शून्य हो तो उसका औचित्य।	मध्य प्रदेश राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा के कारण पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम जोन की दूरी शून्य है।		

ख. रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

अनुसूची 'क'

सीमा विवरण – रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा गडोला ग्राम की सीमा में निर्देशांक उ22⁰ 32' 53.417", पू74⁰ 3' 48.858" के बिंदु के साथ आरंभ होती है। इसके बाद रेखा कोथर, दून ग्राम से होते हुए जाती है और यह की ग्राम सीमा जंमली (जेर) की ओर मुड़ती है। यह मरच्चीपानी ग्राम के उ 22⁰31' 23.300", पू73⁰58' 38.392" से जुड़ती है। सीमा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर और केवदी- दोबाचापूरा, धोलीसीमेल- लीम्बनी, डूंगरभीन्त-वचलीभीन्त ग्रामों की सीमा से होते हुए जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा आड़े- तिरछे ढंग में उत्तर की ओर मुड़कर जीपीएस निर्देशांक उ22⁰28' 12.567", पू73⁰54' 40.334" के बिंदु से होते हुए जाती है। इसके बाद सीमा पुन: पश्चिम की ओर मुड़कर और बाद में लगभग16.37 किलोमीटर के बाद यह पुन: अम्बलीपानीछोटरा ग्राम सीमा के साथ जीपीएस निर्देशांक उ 22⁰31' 34.916", पू73⁰50' 24.751" के बिंदु से मुड़ती है। सीमा राजस्व ग्रामों छसिया (सदादिया), सगताला, मादव की सीमा से उ 22⁰ 35' 16.111", पू 73⁰54' 46.367" से होते हुए जाती है। इसके बाद यह फंगिया और जमरन ग्रामों की सीमा की ओर मुड़ती है। जीपीएस निर्देशांक उ 22⁰34' 37.566", पू 73⁰58'

23.944" में यह सेवनिया ग्राम की सीमा से उ 22⁰36' 21.559", पू74⁰ 01' 3.334" होते हुए जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उ 22⁰36' 23.406", पू 74⁰ 06' 47.808" के अंतर्गत लखनगोजीया, गडवेक, अंनद्रपुरा, पिपरिया ग्राम आते हैं। सीमा ककड्खीला सीमा धानपुर (ककड्खीला) पूर्वी दिशा की ओर लगभग 13.22 किलोमीटर तक जाती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा वन्यजीव अभयारण्य के उ 22⁰33' 48.831"को छूती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की कुल सीमा 137.99 किलोमीटर है। बाद में यह मध्य प्रदेश की अंत:राज्यीय सीमा लगती है; इस प्रकार पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पूर्व, दक्षिण- पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम दिशा में शून्य किलोमीटर है। पारिस्थितकी संवेदी जोन के अंतर्गत कुल 32 ग्राम आते हैं। इनमें से 10 ग्राम छोटाउदयपुर जिला में है, 14 ग्राम दहोद जिला, धनपुर तालुका में और 8 ग्राम बरिया तालुका में है।

अनुसूची 'ख'

उत्तर: मांदुव, फंगीया, जमरान, सेवानीया, लाखना गोजीया, गधावेल, आन्द्रपुरा, पीपेरीया, लीमदीमेंदरी, कंजता, भींदोल,पनाम

पश्चिम: अम्बलीपानीछोटरा,छासीया, सागताला.

*दक्षिण: धुवेरा,*पीपेरागोट, कुबेरा, उधालमेहुदा, गदोला, मीथीबोर, मारचीपानी, केवदी, धूलीसीमाल, दूंगरभींत

पूर्व: भानपुर, अलींद्ररा, पांम, मध्य प्रदेश सीमा

उपाबंध- II क

10 किलोमीटर त्रिज्या में भू-निर्देशांक और भूमि उपयोग पैटर्न के साथ रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

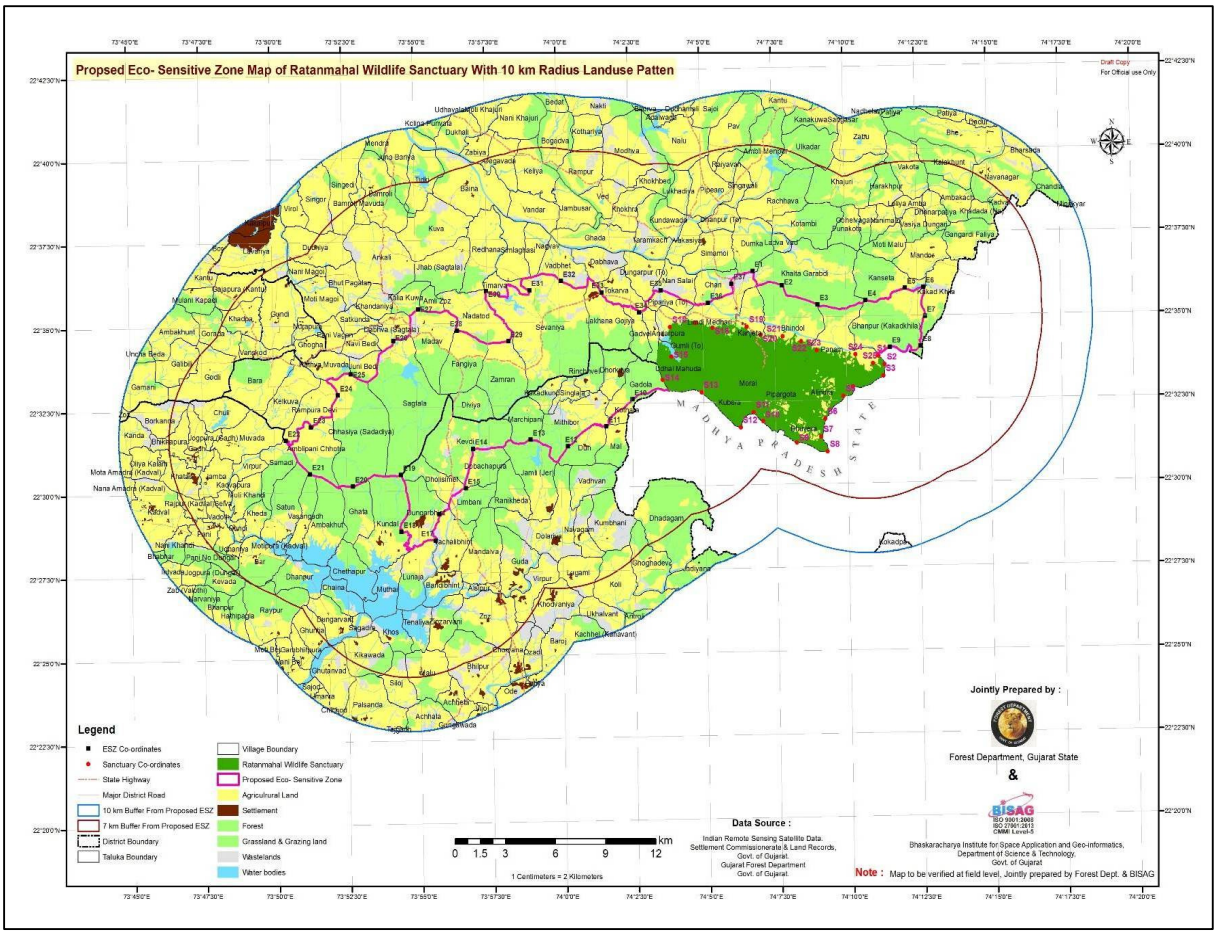

उपाबंध- II ख

रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और 10 किलोमीटर भूमि उपयोग पैटर्न और भू-निर्देशांक के साथ संरक्षित क्षेत्र के केंद्र से इसकी दूरी

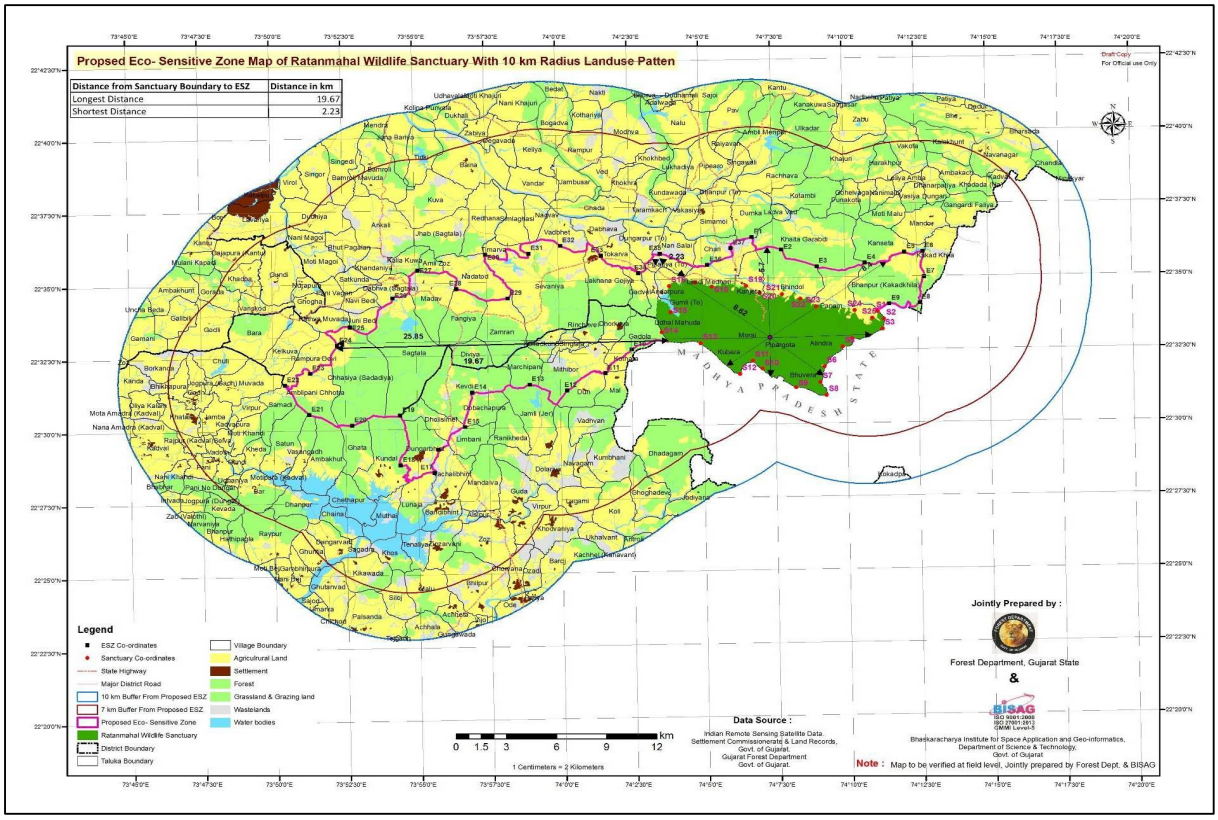

उपाबंध- II ग

रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का उपग्रह से लिया गया मानचित्र

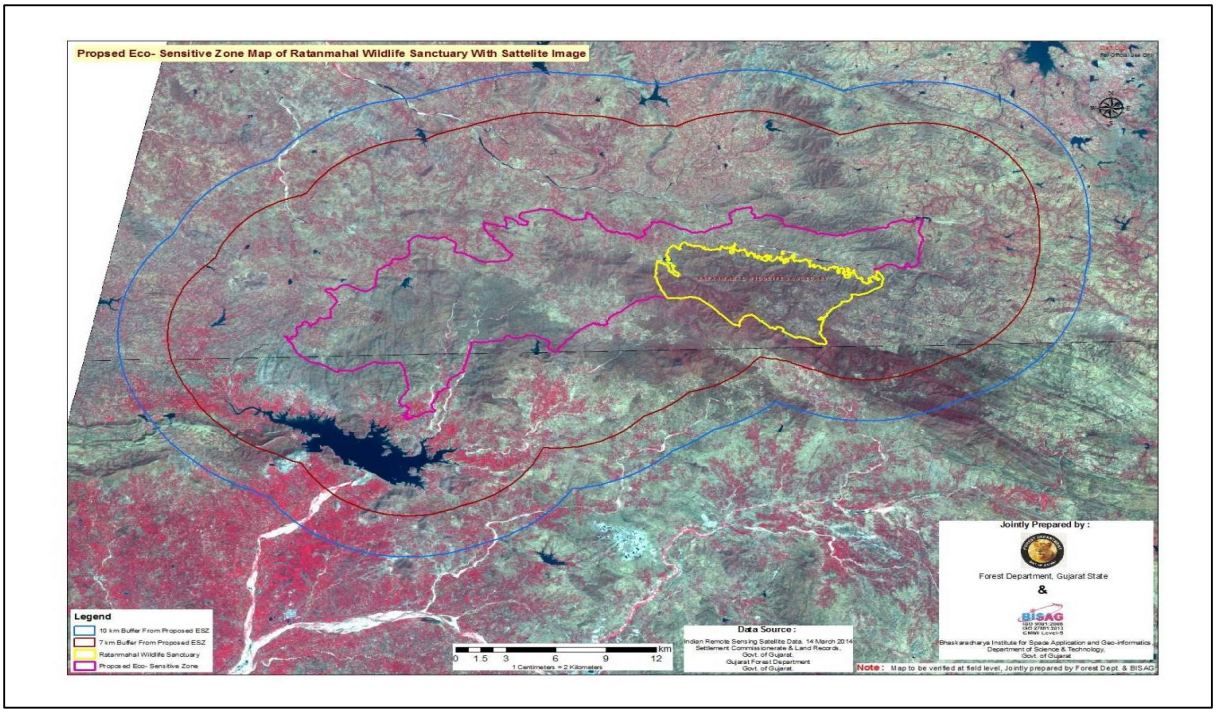

उपाबंध-III

सारणी क. मानचित्र में दिखाए गए रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य स्थानों का अक्षांश-देशांतर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	निर्देशांक बिंदु
1	22° 33' 49.203" **उ**	74° 11' 7.873" **पू**	एस1
2	22° 33' 33.930" **उ**	74° 11' 20.348" **पू**	**एस**2
3	22° 33' 13.451" **उ**	74° 11' 17.413" **पू**	**एस**3
4	22° 32' 54.299" **उ**	74° 10' 13.183" **पू**	**एस**4
5	22° 32' 38.005" **उ**	74° 9' 52.905" **पू**	**एस**5
6	22° 31' 57.492" **उ**	74° 9' 14.227" **पू**	**एस**6
7	22° 31' 25.502" **उ**	74° 9' 4.851" **पू**	एस7
8	22° 30' 58.635" **उ**	74° 9' 17.669" **पू**	**एस**8
9	22° 31' 15.178" **उ**	74° 8' 14.309" **पू**	**एस**9
10	22° 31' 55.075" **उ**	74° 7' 4.393" **पू**	**एस**10
11	22° 32' 11.580" **उ**	74° 6' 44.769" **पू**	**एस**11
12	22° 31' 44.355" **उ**	74° 6' 17.083" **पू**	**एस**12
13	22° 32' 48.986" **उ**	74° 4' 56.322" **पू**	**एस**13
14	22° 33' 13.000" **उ**	74° 3' 35.019" **पू**	**एस**14
15	22° 33' 53.954" **उ**	74° 3' 54.474" **पू**	**एस**15
16	22° 34' 47.199" **उ**	74° 3' 52.039" **पू**	**एस**16
17	22° 34' 54.189" **उ**	74° 4' 46.338" **पू**	**एस**17
18	22° 34' 44.912" **उ**	74° 5' 21.492" **पू**	**एस**18
19	22° 34' 45.611" **उ**	74° 6' 33.198" **पू**	**एस**19
20	22° 34' 30.747" **उ**	74° 7' 1.744" **पू**	**एस**20
21	22° 34' 27.315" **उ**	74° 7' 47.634" **पू**	**एस**21
22	22° 34' 17.479" **उ**	74° 8' 26.336" **पू**	**एस**22
23	22° 34' 0.794" **उ**	74° 8' 58.949" **पू**	**एस**23
24	22° 33' 52.565" **उ**	74° 10' 19.282" **पू**	**एस**24
25	22° 33' 36.039" **उ**	74° 10' 55.499" **पू**	**एस**25

सारणी ख. मानचित्र में दिखाए गए रतनमहल वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ मुख्य स्थानों का अक्षांश- देशांतर

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	निर्देशांक बिंदु
1	22° 36' 25.452" उ	74° 6' 46.777" **पू**	इ1
2	22° 35' 59.361" उ	74° 7' 47.605" **पू**	इ 2
3	22° 35' 23.459" **उ**	74° 9' 1.457" **पू**	इ 3
4	22° 35' 29.601" उ	74° 10' 42.305" **पू**	इ 4
5	22° 35' 50.212" **उ**	74° 12' 4.887" **पू**	इ 5
6	22° 35' 51.212" **उ**	74° 12' 43.587" **पू**	इ 6
7	22° 34' 59.231" उ	74° 12' 45.875" **पू**	इ 7
8	22° 34' 6.160" **उ**	74° 12' 35.781" **पू**	इ 8
9	22° 34' 4.997" **उ**	74° 11' 31.608" **पू**	इ 9

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	निर्देशांक बिंदु
10	22° 32' 38.753" **उ**	74° 2' 31.421" **पू**	इ 10
11	22° 31' 50.704" **उ**	74° 1' 35.876" **पू**	इ 11
12	22° 31' 16.388" **उ**	74° 0' 14.890" **पू**	इ 12
13	22° 31' 29.530" **उ**	73° 58' 56.930" **पू**	इ 13
14	22° 31' 14.479" **उ**	73° 56' 56.122" **पू**	इ 14
15	22° 30' 4.220" **उ**	73° 56' 40.296" **पू**	इ 15
16	22° 29' 18.128" **उ**	73° 55' 43.857" **पू**	इ 16
17	22° 28' 30.599" **उ**	73° 55' 34.895" **पू**	इ 17
18	22° 28' 46.909" **उ**	73° 54' 24.052" **पू**	इ 18
19	22° 30' 29.905" **उ**	73° 54' 24.656" **पू**	इ 19
20	22° 30' 10.285" **उ**	73° 52' 44.067" **पू**	इ 20
21	22° 30' 33.838" **उ**	73° 51' 14.802" **पू**	इ 21
22	22° 31' 34.916" **उ**	73° 50' 24.751" **पू**	इ 22
23	22° 31' 58.283" **उ**	73° 51' 17.810" **पू**	इ 23
24	22° 32' 55.163" **उ**	73° 52' 15.089" **पू**	इ 24
25	22° 33' 32.856" **उ**	73° 52' 42.684" **पू**	इ 25
26	22° 34' 31.118" **उ**	73° 54' 12.624" **पू**	इ 26
27	22° 35' 27.562" **उ**	73° 55' 5.602" **पू**	इ 27
28	22° 34' 48.282" **उ**	73° 56' 26.364" **पू**	इ 28
29	22° 34' 27.469" **उ**	73° 58' 13.485" **पू**	इ 29
30	22° 35' 57.970" **उ**	73° 57' 28.160" **पू**	इ 30
31	22° 35' 58.442" **उ**	73° 58' 59.062" **पू**	इ 31
32	22° 36' 14.016" **उ**	74° 0' 5.530" **पू**	इ 32
33	22° 35' 52.172" **उ**	74° 1' 30.573" **पू**	इ 33
34	22° 35' 15.184" **उ**	74° 2' 47.964" **पू**	इ 34
35	22° 35' 54.284" **उ**	74° 3' 33.862" **पू**	इ 35
36	22° 35' 29.918" **उ**	74° 5' 12.564" **पू**	इ 36
37	22° 36' 3.721" **उ**	74° 6' 2.094" **पू**	इ 37

उपाबंध- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के भू-निर्देशांकों की मुख्य सीमाएं

क्र. सं.	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
1	गदोला	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°30'.20"पू	22°34'30"उ
2	केवाडी	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°57'.04"पू	22°32'20"उ
3	धूलीसिमाल	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°56'.16"पू	22°31'10"उ
4	धूंगरभीट	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°56'.00"पू	22°29'45"उ
5	धोरकुवा	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.50"पू	22°34'00"उ
6	रीछावेल	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.05"पू	22°34'02"उ
7	काकाल्खुर्द	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°05'.00"पू	22°33'10"उ

क्र. सं.	ग्राम नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/तालुका	जिला	अक्षांश (उ) (डीएमएस प्रारूप)	देशांतर(पू) (डीएमएस प्रारूप)
8	मीथीबोर पीटी.	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.30"पू	22°33'20"उ
9	मारचीपानी	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	73°58'.00"पू	22°31'05"उ
10	सिंगाल्जा	संपूर्ण ग्राम	छोटाउदेपुर	छोटाउदेपुर	74°10'.05"पू	22°34'10"उ
11	पंम पीटी	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°11'.00"पू	22°35'10"उ
12	भींदोल पीटी	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°90'.00"पू	22°30'20"उ
13	भानपुर	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°11'.10"पू	22°35'05"उ
14	लिमदीमेंदरी	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°50'.30"पू	22°35'45"उ
15	पीपरीअ	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°50'.45"पू	22°36'05"उ
16	अंदारपुरा	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°40'.20"पू	22°34'10"उ
17	कंजात पीटी.	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°08'.05"पू	22°35'10"उ
18	गुमली	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°40'.30"पू	22°30'15"उ
19	उधाल महुदा	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°3'.855"पू	22°33'25"उ
20	पीपरगोट	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°8'.002"पू	22°32'42"उ
21	भुवेरो	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°8'.426"पू	22°31'62"उ
22	अलींदरा	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°9'.214"पू	22°32'62"उ
23	गधवेल	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°30'.05"पू	22°35'00"उ
24	लखंगोजीया	संपूर्ण ग्राम	धानपुर	दहोद	74°20'.30"पू	22°36'20"उ
25	मांदव	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°56'.04"पू	22°34'45"उ
26	दीवीया	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°57'.01"पू	22°33'00"उ
27	छासीयासाददीया	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°54'.00"पू	22°31'00"उ
28	अमलीपानीछोतरा	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°55'.01"पू	22°33'00"उ
29	सागताला	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°55'.00"पू	22°34'01"उ
30	फनगीया	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°58'.00"पू	22°34'01"उ
31	सेवानीया	सर्वेक्षण सं. 123, 158, 208 और पृथक दक्षिणी पैच (9.85 हेक्टेयर) के अलावा संपूर्ण वन क्षेत्र में सर्वेक्षण सं. 428/1 के उत्तरी पैच (123.22 हेक्टेयर)।	बरीआ	दहोद	73°59'.10"पू	22°35'00"उ
32	जमरान	संपूर्ण ग्राम	बरीआ	दहोद	73°58'.10"पू	22°34'10"उ

उपाबंध-V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2017

S.O. 3574(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, The Ratanmahal Wildlife Sanctuary is spread over an area of 55.65 square kilometers and situated in Dhanpur Taluka of Dahod District in the state of Gujarat.

AND WHEREAS, the area of Ratanmahal Wildlife Sanctuary is 55.65 sq. km. The Ratanmahal Wildlife Sanctuary was given a status of Sanctuary with effect from 19th March 1982.The Sanctuary area is situated in the eastern part of Gujarat along Gujarat-Madhya Pradesh border, the area consists of the northern most part of the picturesque Vindhya hill series. It forms a contiguous tract with the forests of Alirajpur district in Madhya Pradesh in the South east and on the North lies forest area of Baria Forest Division.

AND WHEREAS, the major vegetation found in and around Ratanmahal Wildlife Sanctuary are Teak (*Tectona grandis),* Bandaro (*Lagerstroemea parviflora),* Sadad (*Terminalia crenulata*), Timru (*Diospyros melanoxylon),* Cholimbo (*Casearia graveolens),* Umbh (*Miliusa tomentosa),* Dhavado (*Anogeisssus latifolia),* Kalam (Mitragyna parvifolia), Patarali (*Dhalbergia paniculata),* Bhutzad (Cassine glauca) etc. The major fauna recorded from Ratanmahal Wildlife Sanctuary are Leopard (*Panther pardus),* Sloth bear (*Melursus ursinus),* Nilgai or Bluebull (*Doselaphus tragocamelus),* Four-Horned antelope (*Tetracerus quadricornis),* Striped hyena (*Hyaena hyaena*) etc. While Grey Francolin (*Francolinus pondicerianus*), Red Spurfowl (*Galloperdix spadicea),* Grey Junglefowl (*Gallus sonneratii),* Indian Peafowl (*Pavo cristatus)* are the important bird species of the sanctuary.

AND WHEREAS, The Ratanmahal Wildlife Sanctuary Eco-sensitive zone forests area is a treasure of genetic biodiversity-rich species of both flora and fauna. Pristine beauty and rugged topography gives the visitor a sense of solitude and peace. It is home to the Sloth bear (*Melursus ursinus*) one of the four species found in India-the place being a typical Sloth bear area.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ratanmahal Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with

sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 2.23 km to 19.67 km around the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-

(1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent **of 2.23 km to 19.67 km** around the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone **24.15041 sq. km.**

(2) The extend and boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-I A-B.**

(3) Map of Eco-sensitive zone of Ratanmahal Wildlife Sanctuary along with geo-coordinates, land use pattern, satellite image and location maps are appended as **Annexure II- A - C.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary and eco-sensitive zone is appended as Table A & B of **Annexure- III.**

(5) The list of villages falling in proposed Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-IV**. Majority of the tribals of Ratanmahal Wildlife Sanctuary are Bhils, with subcasts like Variya, Koli,Rathwa, Mavi, Bhuria, Dangi, Vakhala, Baria, Parmar, Tadvi, Pavar, Ninama, Nayak, Dhanaka, etc. The tribals of Ratanmahal have their origin in Madhya Pradesh, from where they migrated to the interior of the Ratanmahal forest before 200 years or so. The three villages within the sanctuary have exclusively tribal population, whereas the villages on the border have mixed population. Here, in the border villages, the people of other casts are more in number. Other main casts are Rajput and other economically and socially higher casts. The tribal, mainly Bhils, with their subcasts still live in primitive conditions and majority of them subsist below poverty line. Due to absence of good schooling facilities, the education status is poor.

Tribals are largely agriculturist and agriculture labourers. Maize is the main food item. Their main profession is agriculture and agriculture labour. Jowar and Dal are their favourite food items. Smoking bidis and drinking liquor are also part of daily life. They depend upon the forest resources for their food great extent and are largely non-vegetarian. Apart from these they use the fruits of Karamada, Mahuda, Timru, Bor, Temrind, Seed of Baheda, etc. They also used dried mahuda flower for preparation of dough of wheat and a delicious food item khown as 'Parora'.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

(i) Environment,

(ii) Forest and Wildlife,

(iii) Agriculture,

(iv) Revenue,

(v) Urban Development,

(vi) Tourism,

(vii) Rural Development,

(viii) Irrigation and Flood Control,

(ix) Municipal

(x) Panchayati Raj,

(xi) Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by the State Government - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. –

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) Promoted activities and given under para 4.

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism/ Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 as published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated the 8th April,

2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units. –(i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
		B. Regulated Activities
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: (b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

		(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law :
17.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws :
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
21.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.

22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
27.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted.
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:

The Central Government constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1	Collectors of Dahod and Chhotaudepur Districts	---Chairman
2	A representative of the Ministry of Environmental and Forests, Government of India	---Member
3	Two representative of non-governmental organizations **or** working in the field of environment and known birds/wildlife expert (birdwatcher) by the head authority of the sanctuary.	---Members
4	A representative of the Ministry of Environmental and Forests, Government of Gujarat	---Member
5	Regional officer, (District- Panchmahal and Chhotaudepur) Gujarat State Pollution Control Board	---Member
6	Member, State Biodiversity Board	---Member
7	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Vadodara	---Member Secretary

6. Terms of Reference. –

(1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure -V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. N. 25/42/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I A - B

A. EXTEND OF ECO-SENSITIVE ZONE FOR RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY

Extent of ESZ in different directions (kilometres)		From Center of NBS (Kms.)	From Border of NBS (Kms.)
	North	5.70	2.92
	North- East	8.40	4.77
	East	0	0
	South-East	0	0
	South	0	0
	South-West	0	0
	West	25.85	19.67
	North-West	8.62	2.23
Justification **if ESZ extent is Zero** in any of the direction of the Protected Area	*Due to interstate boundary with Madhya Pradesh.State, the East, South-East, South, South-West zone Distance are Zero.*		

B. BOUNDARY DESCRIBTION OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE

SCHEDULE 'A'

Boundary Description – The boundary line of the Eco-sensitive zone of Ratanmahal Wild Life Sanctuary starts from a point with coordinates N22^0 32' 53.417", E74^0 3' 48.858" in the border of Gadola village. Then the line

runs through the Kothar, Dun village and it takes a turn towards Mithibor village bordering Jamli (Jer). It joins the Marchhipani village via N $22^0$31' 23.300", E$73^0$58' 38.392". The boundary takes a north west turn and passes through the border of Kevdi-Dobachapura, Dholisimel-Limbani, Dungarbhint-Vachalibhint Villages Boundary. Then the boundary of the eco-sensitive zone turns towards North in a zig-zag manner passing through a point having GPS coordinate of N$22^0$28' 12.567", E$73^0$54' 40.334". Then the boundary again turns towards west and after around 16.37 km again it takes a turn at AmblipaniChhotra village border with a point having GPS Coordinates N $22^0$31' 34.916", E$73^0$50' 24.751". The boundary runs through the border of revenue villages Chhasiya (Sadadiya), Sagtala, Madav via N 22^0 35' 16.111", E $73^0$54' 46.367". Then it turns towards the border of Fangiya and Zamran villages. At GPS coordinates N $22^0$34' 37.566", E $73^0$58' 23.944" it passes through bordering Sevaniya village upto N $22^0$36' 21.559", E74^0 01' 3.334". LakhanaGojiya, Gadvek, Andrapura, Pipariya villages also comes within the borders of this ESZ. At N $22^0$36' 23.406", E 74^0 06' 47.808". The boundary continues around 13.22 km in the eastern direction towards Kakadkhila bordering Bhanpur (Kakadkhila). The Border of the ESZ touches the WLS at N $22^0$33' 48.831". the total border of the Eco-Sensitive Zone covers 137.99km. Since there is interstate border of Madhya Pradesh; so the extent of Eco-sensitive Zone in East, South-East, South, South-West direction is zero km. A total of 32 villages are situated inside the ESZ. Out of this 10 villages are in Chhotaudeipur District, 14 villages are in Dhanpur Taluka and 8 villages are in Baria Taluka of Dahod district.

SCHEDULE 'B'

North: Mandav, Fangiya, Zamran, Sevaniya, LakhanaGojiya, Gadhavel, Andarpura, Pipariya, LimdiMendri, Kanjeta, Bhindol, Panam

West: AmblipaniChhotra, Chhasiya, Sagtala.

South: Bhuvera, Pipargota, Kubera, UdhalMahuda, Gadola, Mithibor, Marchipani, Kevdi, Dholisimal, Dungarbhint

East: Bhanpur, Alindra, Panam, M.P. Border

ANNEXURE- II A

ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES AND LAND USE PATTERN AT 10 KM RADIUS

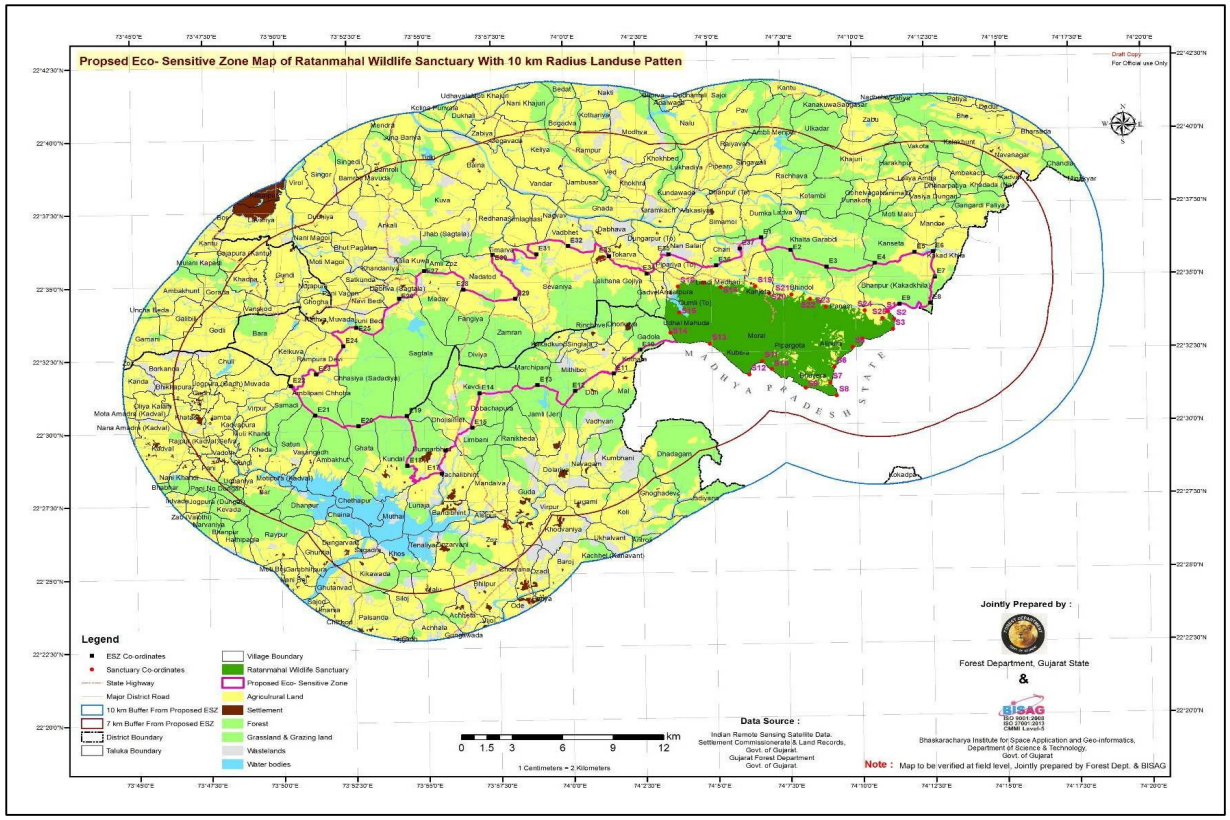

ANNEXURE- II B

ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY & DISTANCE FROM CENTRE OF PA ALONG WITH GEO-COORDINATES AND 10 KM LAND USE PATTERN

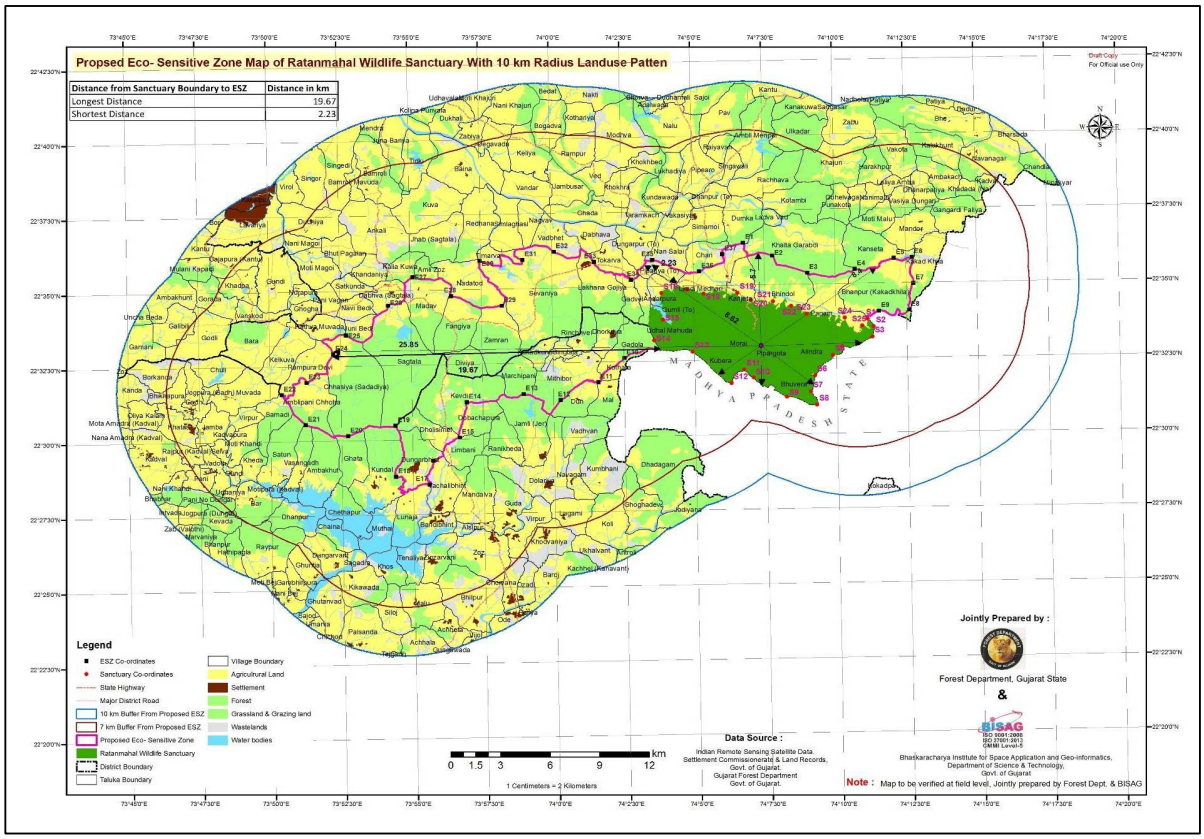

ANNEXURE- II C

SETELLITE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF RATANMAHAL WILDLIFE SANCTUARY

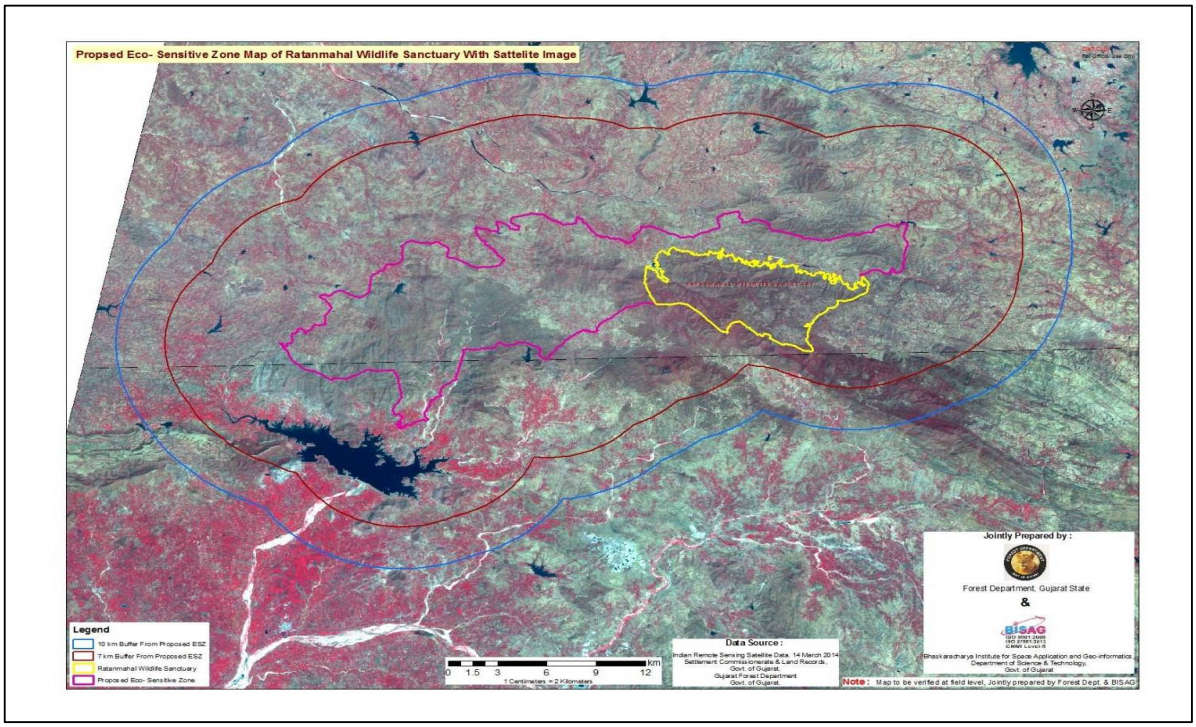

Annexure-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Ratanmahal Wildlife Sanctuary shown on Map

Sr. No.	Latitude	Longitude	Coordinate Point
1	22° 33' 49.203" N	74° 11' 7.873" E	S1
2	22° 33' 33.930" N	74° 11' 20.348" E	S2
3	22° 33' 13.451" N	74° 11' 17.413" E	S3
4	22° 32' 54.299" N	74° 10' 13.183" E	S4
5	22° 32' 38.005" N	74° 9' 52.905" E	S5
6	22° 31' 57.492" N	74° 9' 14.227" E	S6
7	22° 31' 25.502" N	74° 9' 4.851" E	S7
8	22° 30' 58.635" N	74° 9' 17.669" E	S8
9	22° 31' 15.178" N	74° 8' 14.309" E	S9
10	22° 31' 55.075" N	74° 7' 4.393" E	S10
11	22° 32' 11.580" N	74° 6' 44.769" E	S11
12	22° 31' 44.355" N	74° 6' 17.083" E	S12
13	22° 32' 48.986" N	74° 4' 56.322" E	S13
14	22° 33' 13.000" N	74° 3' 35.019" E	S14
15	22° 33' 53.954" N	74° 3' 54.474" E	S15
16	22° 34' 47.199" N	74° 3' 52.039" E	S16
17	22° 34' 54.189" N	74° 4' 46.338" E	S17
18	22° 34' 44.912" N	74° 5' 21.492" E	S18
19	22° 34' 45.611" N	74° 6' 33.198" E	S19
20	22° 34' 30.747" N	74° 7' 1.744" E	S20
21	22° 34' 27.315" N	74° 7' 47.634" E	S21
22	22° 34' 17.479" N	74° 8' 26.336" E	S22
23	22° 34' 0.794" N	74° 8' 58.949" E	S23
24	22° 33' 52.565" N	74° 10' 19.282" E	S24
25	22° 33' 36.039" N	74° 10' 55.499" E	S25

Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Ratanmahal Wildlife Sanctuary shown on Map

Sr. No.	**Latitude**	**Longitude**	**Coordinate Point**
1	22° 36' 25.452" N	74° 6' 46.777" E	E1
2	22° 35' 59.361" N	74° 7' 47.605" E	E2
3	22° 35' 23.459" N	74° 9' 1.457" E	E3
4	22° 35' 29.601" N	74° 10' 42.305" E	E4
5	22° 35' 50.212" N	74° 12' 4.887" E	E5
6	22° 35' 51.212" N	74° 12' 43.587" E	E6
7	22° 34' 59.231" N	74° 12' 45.875" E	E7
8	22° 34' 6.160" N	74° 12' 35.781" E	E8
9	22° 34' 4.997" N	74° 11' 31.608" E	E9
10	22° 32' 38.753" N	74° 2' 31.421" E	E10
11	22° 31' 50.704" N	74° 1' 35.876" E	E11
12	22° 31' 16.388" N	74° 0' 14.890" E	E12
13	22° 31' 29.530" N	73° 58' 56.930" E	E13
14	22° 31' 14.479" N	73° 56' 56.122" E	E14
15	22° 30' 4.220" N	73° 56' 40.296" E	E15
16	22° 29' 18.128" N	73° 55' 43.857" E	E16

Sr. No.	Latitude	Longitude	Coordinate Point
17	22° 28' 30.599" N	73° 55' 34.895" E	E17
18	22° 28' 46.909" N	73° 54' 24.052" E	E18
19	22° 30' 29.905" N	73° 54' 24.656" E	E19
20	22° 30' 10.285" N	73° 52' 44.067" E	E20
21	22° 30' 33.838" N	73° 51' 14.802" E	E21
22	22° 31' 34.916" N	73° 50' 24.751" E	E22
23	22° 31' 58.283" N	73° 51' 17.810" E	E23
24	22° 32' 55.163" N	73° 52' 15.089" E	E24
25	22° 33' 32.856" N	73° 52' 42.684" E	E25
26	22° 34' 31.118" N	73° 54' 12.624" E	E26
27	22° 35' 27.562" N	73° 55' 5.602" E	E27
28	22° 34' 48.282" N	73° 56' 26.364" E	E28
29	22° 34' 27.469" N	73° 58' 13.485" E	E29
30	22° 35' 57.970" N	73° 57' 28.160" E	E30
31	22° 35' 58.442" N	73° 58' 59.062" E	E31
32	22° 36' 14.016" N	74° 0' 5.530" E	E32
33	22° 35' 52.172" N	74° 1' 30.573" E	E33
34	22° 35' 15.184" N	74° 2' 47.964" E	E34
35	22° 35' 54.284" N	74° 3' 33.862" E	E35
36	22° 35' 29.918" N	74° 5' 12.564" E	E36
37	22° 36' 3.721" N	74° 6' 2.094" E	E37

ANNEXURE- IV

GEO CORDINTES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE

Sr. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Gadola	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°30'.20"E	22°34'30"N
2	Kevadi	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°57'.04"E	22°32'20"N
3	Dholisimal	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°56'.16"E	22°31'10"N
4	Dungarbhit	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°56'.00"E	22°29'45"N
5	Dhorkuva	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.50"E	22°34'00"N
6	Richhvel	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.05"E	22°34'02"N
7	Kakalkund	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°05'.00"E	22°33'10"N
8	Mithibor Pt.	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.30"E	22°33'20"N
9	Marchipani	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	73°58'.00"E	22°31'05"N
10	Singalja	Whole Village	Chhotaudepur	Chhotaudepur	74°10'.05"E	22°34'10"N
11	Panam Pt.	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°11'.00"E	22°35'10"N
12	Bhindol Pt.	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°90'.00"E	22°30'20"N
13	Bhanpur	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°11'.10"E	22°35'05"N
14	Limdimendri	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°50'.30"E	22°35'45"N
15	Piparia	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°50'.45"E	22°36'05"N
16	Andarpura	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°40'.20"E	22°34'10"N
17	Kanjeta Pt.	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°08'.05"E	22°35'10"N
18	Gumli	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°40'.30"E	22°30'15"N
19	Udhal mahuda	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°3'.855"E	22°33'25"N
20	Pipergota	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°8'.002"E	22°32'42"N
21	Bhuvero	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°8'.426"E	22°31'62"N
22	Alindra	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°9'.214"E	22°32'62"N
23	Gadhvel	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°30'.05"E	22°35'00"N
24	Lakhanagojiya	Whole Village	Dhanpur	Dahod	74°20'.30"E	22°36'20"N
25	Mandav	Whole Village	Baria	Dahod	73°56'.04"E	22°34'45"N

Sr. No.	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
26	Diviya	Whole Village	Baria	Dahod	73°57'.01"E	22°33'00"N
27	Chhasiyasadadiya	Whole Village	Baria	Dahod	73°54'.00"E	22°31'00"N
28	Amlipanichhotra	Whole Village	Baria	Dahod	73°55'.01"E	22°33'00"N
29	Sagtala	Whole Village	Baria	Dahod	73°55'.00"E	22°34'01"N
30	Fangiya	Whole Village	Baria	Dahod	73°58'.00"E	22°34'01"N
31	Sevaniya	Whole Forest area except that of survey no.123, 158, 208 & Isolated Southern Patch (9.85 ha.) Northen patches (123.22 ha.) of survey no.428/1	Baria	Dahod	73°59'.10"E	22°35'00"N
32	Zamran	Whole Village	Baria	Dahod	73°58'.10"E	22°34'10"N

Annexure-V

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance:

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.11.14 19:40:32 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.